<u>फार्म – ए</u>

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सिवान
उपस्थित – उमेश मणि त्रिपाठी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सिवान
निर्णय का दिनांक : 29.06.2026
<u>सत्रवाद संख्या : 457/2023</u>
निबंधन संख्या : 457/2023
सिवान नगर थाना काण्ड संख्या– 594/2022
अंतर्गत धारा– 341, 323, 324, 307, 379/34 भा0द0वि0

सूचक	राज्य द्वारा विश्वकर्मा शर्मा, पिता– रामेश्वर शर्मा, निवासी–ग्राम–बैलहटा पोखरा, थाना– सिवान नगर, जिला– सिवान।
अभियोजन की तरफ से	श्री रघुबर सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	1. रूपक शर्मा, 2. शिवम शर्मा 3. सुनील कुमार 4. सूरज कुमार 5. दुर्गा साह एवं 6. ममता देवी।
बचाव पक्ष की तरफ से	श्री अविनाश कुमार सिंह (विद्वान अधिवक्ता)

<u>फार्म – बी</u>

घटना की तारीख	24.10.2022
प्राथमिकी की तिथि	25.10.2022
आरोप पत्र समर्पित किये जाने की तिथि	29.12.2022
आरोप गठित किये जाने की तिथि	14.05.2024
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	01.08.2024
निर्णय में नियत किये जाने की तिथि	23.06.2026
निर्णय की तिथि	29.06.2026
दण्ड आदेश पारित किये जाने की तिथि	कुछ नहीं

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त संख्या	**1**
अभियुक्त का नाम	रूपक शर्मा, पिता— टुनटुन शर्मा, उम्र— 24 वर्ष, निवासी— ग्राम— बैलहट्टा, थाना—सिवान नगर, जिला— सिवान।
गिरफ्तारी की तिथि	न्यायालय में आत्म—समर्पण किया गया।
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	12.12.2022
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा—341, 323, 324, 307/34 भा0दं0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष—सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है
अभियुक्त संख्या	**2**
अभियुक्त का नाम	शिवम शर्मा, पिता— टुनटुन शर्मा, उम्र— 23 वर्ष, निवासी— ग्राम— बैलहट्टा, थाना—सिवान नगर, जिला— सिवान।
गिरफ्तारी की तिथि	न्यायालय में आत्म—समर्पण किया गया।
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	12.12.2022
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा—341, 323, 324, 307/34 भा0दं0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष—सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है
अभियुक्त संख्या	**3**
अभियुक्त का नाम	सुनील कुमार, पिता— दुर्गा साह, उम्र— 24 वर्ष, निवासी— ग्राम— बैलहट्टा, थाना—सिवान नगर, जिला— सिवान।
गिरफ्तारी की तिथि	अग्रिम जमानत पर मुक्त किया गया।
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	21.12.2022
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा—341, 323, 324, 307/34 भा0दं0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष—सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है

अभियुक्त संख्या	**4**
अभियुक्त का नाम	सूरज कुमार, पिता— दुर्गा शर्मा, उम्र— 23 वर्ष, निवासी— ग्राम— बैलहट्टा, थाना—सिवान नगर, जिला— सिवान।
गिरफ्तारी की तिथि	अग्रिम जमानत पर मुक्त किया गया।
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	22.12.2022
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा—341, 323, 324, 307 / 34 भा0दं0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष—सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है
अभियुक्त संख्या	**5**
अभियुक्त का नाम	दुर्गा साह, पिता— स्व0 हीरा साह, उम्र— 23 वर्ष, निवासी— ग्राम— बैलहट्टा, थाना—सिवान नगर, जिला— सिवान।
गिरफ्तारी की तिथि	अग्रिम जमानत पर मुक्त किया गया।
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	21.12.2022
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा—341, 323, 324, 307 / 34 भा0दं0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष—सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है
अभियुक्त संख्या	**6**
अभियुक्त का नाम	ममता देवी, पिता— स्व0 टुनटुन शर्मा, उम्र— 45 वर्ष, निवासी— ग्राम— बैलहट्टा, थाना—सिवान नगर, जिला— सिवान।
गिरफ्तारी की तिथि	न्यायालय में आत्म—समर्पण किया गया।
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	12.12.2022
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा—341, 323, 324, 307 / 34 भा0दं0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष—सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, सिवान।
उपस्थितः—उमेश मणि त्रिपाठी,
सत्र वाद संख्या—457/2023
सी0आई0एस0 संख्या— 457/2023
सिवान नगर थाना कांड संख्या—594/2022
राज्य बनाम रूपक शर्मा एवं अन्य

निर्णय

1. अभियुक्त 1. रूपक शर्मा, 2. शिवम शर्मा 3. सुनील कुमार 4. सूरज कुमार 5. दुर्गा साह एवं 6. ममता देवी के विरूद्ध दिनांक—14.05.2024 को धारा— 341, 323, 324, 307/34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत आरोप गठित किया गया। आरोप अभियुक्तों को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तों ने अपने पर लगाये गये आरोपों से इन्कार किया एवं विचारण का दावा किया।

2. संक्षेप में, सूचक विश्वकर्मा शर्मा के फर्दबयान/लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 24.10.2022 को समय करीब 10.30 पी.एम. में सूचक के पड़ोसी रूपक शर्मा, शिवम शर्मा से पटाखे छोड़ने के कारण विवाद बढ़ा। विश्वकर्मा शर्मा द्वारा पटाखे दूर जाकर छोडने के लिए कहा गया लेकिन पड़ोसी वहीं पर छोड़ने के लिए आमदा थे। रूपक शर्मा अपने कुछ पड़ोसी मित्रों के साथ योजनाबद्ध तरीके से विश्वकर्मा शर्मा पर हमला कर दिये हमले में रूपक शर्मा, शिवम शर्मा, सुनील कुमार, सूरज कुमार, दुर्गा साह एवं ममता देवी थे। सुनिल कुमार द्वारा अपने हाथ में लिये तलवार से जान मारने के नियत से विश्वकर्मा शर्मा के सिर पर वार कर दिये जिससे सर जख्मी हो गया। वंदना कुमारी बचाने आयी तो उनके सर पर रूपक शर्मा ने रॉड से मार कर जख्मी कर दिया। बीच—बचाव करने आए विश्वकर्मा शर्मा के भाई राजू शर्मा को सूरज कुमार ने डंडा से मारकर जख्मी कर दिया। विशाल कुमार शर्मा को शिवम शर्मा ने रॉड से मारकर दाहिने हाथ की कलाई को क्षति पहुँचाई। विश्वकर्मा शर्मा जब जख्मी होकर नीचे गिर गये तो उनके गले से सोने का चैन निकाल लिये।

3. सूचक के फर्दबयान/लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्तगण 1. रूपक शर्मा, 2. शिवम शर्मा 3. सुनील कुमार 4. सूरज कुमार 5. दुर्गा साह एवं 6. ममता देवी के विरूद्ध, दिनांक—25.10.2022 को, सिवान नगर थाना कांड संख्या—594/2022, अतर्गत धारा— 341, 323, 324, 307, 379/34 भा0दं0वि0 पंजीकृत हुआ, जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान पश्चात् अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सत्य पाते हुए आरोप पत्र अंतर्गत धारा— 341, 323, 324, 307, भा0द0वि0 दिनांक—29.12.2022 को समर्पित किया गया, जिसके आधार पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सिवान द्वारा दिनांक—06.02.2023 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात धारा— 307 भा0 दं0 वि0 को अनन्यतः

सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय पाते हुए विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिवान के द्वारा वाद को दिनांक—10.08.2023 को सत्र न्यायालय को दौरा सुपुर्द किया गया तथा तत्पश्चात यह वाद सत्र न्यायाधीश, सिवान के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर दिनांक—08.04.2025 को इस न्यायालय की संचिका में प्राप्त हुआ तथा इस वाद में विचारण प्रारम्भ हुआ।

4. दिनांक—10.06.2026 को सभी (6) अभियुक्तों को धारा 313 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत बयान अभिलिखित किया गया। अभियुक्तों ने अपने बयान में अपने विरुद्ध साक्ष्यों से इन्कार किया एवं स्वयं को निर्दोष होने का दावा किया।

5. इस वाद में केवल एक अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति—युक्त संदेहो से परे सिद्ध करने में सफल रहा है?

साक्ष्य

6. अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा इस वाद में कुल पॉच अभियोजन साक्षियों, यथा, अभियोजन साक्षी संख्या—1. वंदना कुमारी, अभियोजन साक्षी संख्या—2. रामेश्वर शर्मा, अभियोजन साक्षी संख्या—3. राजु कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या—4. विश्वकर्मा शर्मा एवं अभियोजन साक्षी संख्या—5. विशाल कुमार शर्मा को क्रमशः अभियोजन साक्षी संख्या 1 से 5 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है

1. प्रदर्श—P-01/P.W.-02 फर्दबयान पर साक्षी रामेश्वर शर्मा का हस्ताक्षर।
2. प्रदर्श—P-01/1 P.W.-04 फर्दबयान पर सूचक विश्वकर्मा शर्मा का हस्ताक्षर।

7. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से अपने कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. अभियोजन साक्षी संख्या—1. वंदना कुमारी जो सूचक की पुत्री—सह—जख्मी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 24.10.2022 की साढ़े दस बजे रात्रि की है। दिवाली की रात्रि में पटाखा छोड़ रहे थे, कौन छोड़ रहा था, जब उनके पिता विश्वकर्मा शर्मा मना करने गए तो उनके पिता के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिए। वह बाद में गई नीचे तो उन्हें भी मार दिये, वह जख्मी हो गई

थी। दोनो का सदर पुलिस के समक्ष बयान हुआ। कौन पटाखा छोड़ रहा था उसको वह नहीं जानती है।

बचाव पक्ष की ओर से हुए अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटना के समय वह घर के उपर थी। वह किसी को मारते हुए नहीं देखी थी। किसने चैन लिया वह नहीं देखी।

9. अभियोजन साक्षी संख्या—2. रामेश्वर शर्मा जो सूचक के पिता—सह—जख्मी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 24.10.2022 की आठ—नौ बजे रात्रि की दिवाली के दिन की है, उस समय वह अपने घर के अंदर था, उनका पुत्र विश्वकर्मा शर्मा को दुर्गा, टुनटुन मारकर जख्मी कर दिए, उनके नाती वंदना को भी चोट लगा था, दोनो का इलाज हुआ था। विश्वकर्मा शर्मा का अस्पताल में बयान हुआ उस पर उनका हस्ताक्षर है इसे पहचानते है। इसे प्रदर्श—पी—1 अंकित किया गया।

बचाव पक्ष की ओर से हुए अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटना के समय वह घर के अंदर था, उसे किसी को मारते हुए नहीं देखा था। पुलिस सादे कागज पर हस्ताक्षर कराया था, उसमें क्या लिखा था इसकी उन्हें जानकारी नहीं है।

10. अभियोजन साक्षी संख्या—3. राजू कुमार, (जो सूचिका के ग्रामीण है) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 2022 की है। समय करीब रात के 9 बजे की है। उस समय वह मोड़ पर थे। पटाखा फोड़ने को लेकर झगड़ा हुआ था। भाई का नाम विश्वकर्मा शर्मा है। वह और उसके भाई दोनों को चोट लगा था। ईलाज सदर अस्पताल में हुआ था।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उस समय वह मोड़ पर थे। घटना रात की है। कौन किसको मारा यह वह नहीं देखे थे। पूरी घटना उनके सामने नहीं घटी है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या—4. विश्वकर्मा शर्मा, जो इस मामलें के जख्मी—सह—सूचक है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह इस केस की सूचक है। सन् 2022 के दिवाली का समय था। समय रात्रि के दस बजे का था। सुमित साह, दीपक कुमार और रूपक कुमार पटाखा छोड़ रहे थे तो वह और उनके पिताजी मना किये तो सुमित साह, दीपक कुमार और रूपक कुमार, दुर्गा इनलोगों के साथ

झगड़ा करने लगे। कौन लोग इनलोगों के साथ मारपीट किये नहीं जानते है। वह थाना गये थे तो पुलिस ने उसने पूछताछ किया था। उसके बाद उनके बयान को पुलिस ने लिखा जिस पर वह अपना हस्ताक्षर किये। जिसे वह पहचानते है। इसे प्रदर्श—पी—1 / 1 अंकित किया जाता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से हुए अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि अंधेरा की वजह से वह किसी को नहीं पहचाने कि कौन उसे मारा। डॉक्टर को केवल चोट के लिए दिखाया था, एक्स रे नहीं हुआ था।

12. अभियोजन साक्षी संख्या—5. विशाल कुमार शर्मा जो सूचक के पुत्र—सह—जख्मी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 24.10. 2022 लगभग 10.30 बजे रात की है। वह उससमय अपने घर पर था। उन्हें बाहर हल्ला सुनाई दिया तो उन्होनें आकर देखा कि उसके पापा विश्वकर्मा शर्मा जमीन पर गिरे हुये है। पापा को सर पर चोट लगा था। पापा को किसने सिर पर मारा उन्हें नहीं पता है। उन्हें सीढी से गिरने के कारण चोट लगा था। पुलिस के समक्ष उनका बयान नहीं हुआ था।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से हुए अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि उन्हें सीढ़ी से गिरने के कारण चोट लगा था, उन्हें किसी ने मारा नहीं था। घटना के समय घर के अंदर था, वह घटना होते हुये नहीं देखा थे।

मंतव्य

13. अपने बहस के दौरान बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। इस वाद के सूचक एवं जख्मी साक्षियों ने भी अभियुक्तों पर लगाये गये आरोपों से इंकार किया है। सूचक ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना का आंशिक समर्थन किया है, परन्तु अपने प्रतिपरीक्षण में घटना का समर्थन नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध नहीं कर सका है। अतः अभियुक्तों को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना करते हैं।

14. विद्वान लोक अभियोजन का अपने बहस में कहना है कि इस वाद के सूचक अभियुक्तों के मेल में आ गये है, परन्तु फर्दबयान से घटना सिद्ध हुई है। अतः अभियुक्तों को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन करते है।

15. मामले के सम्यक रूप से निर्णय के लिए सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। अभियोजन साक्षी संख्या–4. विश्वकर्मा शर्मा जो इस वाद के सूचक–सह–जख्मी हैं, ने अपने साक्ष्य में घटना का आंशिक समर्थन करते हुए कहा है कि सुमित साह, दीपक कुमार और रूपक कुमार द्वारा पटाखा छोड़ा जा रहा था तो वह और उनके पिताजी मना किये तो सुमित साह, दीपक कुमार और रूपक कुमार, दुर्गा इनलोगों के साथ झगड़ा करने लगे परन्तु अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि अंधेरा की वजह से वह किसी को नहीं पहचाने कि कौन उसे मारा। साक्षी ने यह भी माना है कि डॉक्टर को केवल चोट के लिए दिखाया था, एक्स रे नहीं हुआ था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–01. वंदना कुमारी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह नीचे गई तो उन्हें किसी ने मार दिया जिससे वह जख्मी हो गई। कौन पटाखा छोड़ रहा था उसको वह नहीं जानती हूँ। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह घर के उपर थी। वह किसी को मारते हुये नहीं देखी थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–02. रामेश्वर शर्मा ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उनका पुत्र विश्वकर्मा शर्मा को दुर्गा, टुनटुन मारकर जख्मी कर दिए, उनके नाती वंदना को भी चोट लगा था, दोनो का इलाज हुआ था परन्तु प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना के समय वह घर के अंदर था, उसे किसी को मारते हुए नहीं देखा था। पुलिस सादे कागज पर हस्ताक्षर कराया था, उसमें क्या लिखा था इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। अभियोजन साक्षी संख्या–03. राजू कुमार ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्हें और उनके भाई दोनो को चोट लगा था लेकिन अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उस समय वह मोड़ पर थे। घटना रात की है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकारा है कि कौन किसको मारा यह वह नहीं देखे थे तथा पूरी घटना उनके सामने नहीं घटी है। अभियोजन साक्षी संख्या–05. विशाल कुमार शर्मा ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के समय उसके पापा विश्वकर्मा शर्मा जमीन पर गिरे हुये है। पापा को सर पर चोट लगा था। पापा को किसने सिर पर मारा उन्हें नहीं पता है। उन्हें सीढी से गिरने के कारण चोट लगा था परन्तु अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उन्हें सीढ़ी से गिरने के कारण चोट लगा था, उन्हें किसी ने मारा नहीं था। साक्षी ने यह भी माना है कि घटना के समय घर के अंदर थे तथा उन्होने घटना होते हुये नहीं देखा।

इस प्रकार किसी भी अभियोजन साक्षी के साक्ष्य में निर्विवाद रूप से यह बात नहीं आयी है कि अभियुक्तों ने सूचक एवं उसके पुत्र एवं पुत्री का हत्या का कोई प्रयास किया हो या सूचक या उसके परिवार के सदस्यों पर घातक हथियार

से हमला किया हो, या कोई विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया हो। साथ ही साथ प्रस्तुत साक्षियों में से सूचक साक्षी ने यह स्वीकारा है कि अंधेरा की वजह से वह किसी को नहीं पहचाने कि कौन उन्हें मारा। जख्मी साक्षियों ने भी यह स्वीकारा है कि उन्हें किसने मारा उन्होने नहीं देखा था। उपरोक्त अभियोजन के साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन के किसी भी साक्षी ने अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन कथन और अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में व्यापक विरोधाभाष है। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत मामले में इस केस चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्त्ता को भी परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही परीक्षित नहीं कराए जाने का कोई कारण ही दर्शित किया गया है। इस प्रकार से जितने भी साक्षी प्रस्तुत मामले में परीक्षित हुए हैं किसी भी साक्षी ने घटना में अभियुक्तों की संलिप्तता के संदर्भ में कोई साक्ष्य नहीं दिया है, जिस कारण उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत मामले में अभियुक्तों की संलिप्तता संदेहास्पद हो जाती है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष भा0दं0वि0 की धारा— 341, 323, 324, 307/34 का आरोप साबित करने में विफल रहा है। अतः इन आरोपों से अभियुक्तों दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

16. तद्नुसार, अभियुक्त **1. रूपक शर्मा, 2. शिवम शर्मा 3. सुनील कुमार 4. सूरज कुमार 5. दुर्गा साह एवं 6. ममता देवी** को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों अंतर्गत धारा— 341, 323, 324, 307/34 भा0 दं0 वि0 से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है। इन्हें तथा उनके जमानतदारों को बंध पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धीकृत
एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित।

ह0/
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय
सिवान
दिनांक— 29.06.2026

लेखापित

ह0/—
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय
सिवान
दिनांक— 29.06.2026

फार्म – सी

अभियोजन/बचाव पक्ष/ न्यायालय साक्षियों की सूची

(A) अभियोजन के तरफ से –

अभियोजन साक्षी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सिय साक्षी व अन्य
साक्षी संख्या—1	वंदना कुमारी	जख्मी साक्षी
साक्षी संख्या—2	रामेश्वर शर्मा	स्वतंत्र साक्षी
साक्षी संख्या—3	राजु कुमार	जख्मी साक्षी
साक्षी संख्या—4	विश्वकर्मा शर्मा	सूचक/जख्मी साक्षी
साक्षी संख्या—5	विशाल कुमार शर्मा	जख्मी साक्षी

(B) बचावपक्ष के तरफ से साक्षी – बचावपक्ष के तरफ से कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया।

(C) न्यायालय साक्षी– कोई नहीं।

अभियोजन/बचावपक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची–

(A) अभियोजन के तरफ से – प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य

क्रम संख्या	प्रदर्श	विवरण
1	प्रदर्श– P-1/P.W.-02	फर्दबयान पर साक्षी रामेश्वर शर्मा का हस्ताक्षर
1	प्रदर्श– P-1/1/P.W.-04	फर्दबयान पर सूचक/विश्वकर्मा शर्मा का हस्ताक्षर

(B) बचावपक्ष के तरफ से – कुछ नहीं।

(C) न्यायालय प्रदर्श – कुछ नहीं।

(D) वस्तु प्रदर्श–कुछ नहीं।

Date of Judgement	29-06-2026
Date of Reserving Judgment	29-06-2026
Uploading Date	08-07-2026
Uploaded By	Mosarrat